यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी तराई पूर्वी वन प्रभग हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी तराई पूर्वी वन प्रभग हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 04/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना ले0प0 एवं श्री ए.के.गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियो द्वारा दिनांक 21.10.2016 से 29.10.2016 तक श्री अमर नाथ साहू लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें **राजस्व हेतु** माह 07/2015 से 03/2016 तक **एवं व्यय हेतु** माह 07/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **राजस्व हेतु** माह 04/2016 से 03/2017 तक **एवं व्यय हेतु** माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः तराई पूर्वी वन प्रभाग

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	8689.07
2015-16	8637.94
2016-17	9066.92

(ii)(ब) बजट <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना (`)	गैर स्थापना (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)		
2014-15	---	---	1175.84	1175.84	1883.95	1883.95	---	-----
2015-16	-----	----	1232.20	1232.20	3364.69	3364.69	----	---
2016-17	-----	-----	1255.56	1255.56	1007.11	1007.11	-----	----

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	बचत	अ ध क्य
2016-17		-	1.45 लाख	1.35 लाख	0.10 लाख	
2016-17		-	10.136 लाख	10.136 लाख		

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी तराई पूर्वी वन प्रभग हल्द्वानी (नैनीताल) (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी तराई पूर्वी वन प्रभग हल्द्वानी (नैनीताल) (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- **(**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------..... ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

प्रस्तर- 01

(अति गम्भीर अनिय मततताएं)

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- 01,02,03,04

(गम्भीर अनिय मततताएं)

शून्य

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर - 01,02,03,04

राजस्व से संबन्धित

भाग-02 अ

प्रस्तर-01 वलम्ब से जमा लीज कराए पर ₹23.53 लाख ब्याज वसूल न कया जाना।

A late fee calculated at 02 paise per hundred rupee per day (i.e. 7.3% per annum) would be payable if the payment is made after the grace period of 30 days but before the expiry of 60 days. The late fee payable will be calculated for the entire period of delay including the grace period and (iii) if the payment is made after the expiry of 60 days, late fee at 5 paise per hundred per day (i.e. 18.25% per annum) would be charged from the date of instalment fee due according to article 152, page no. 196 ii of the Uttar Pradesh forest manual (8th edition).

पट्टा वलेख में पट्टा ग्रहीता द्वारा वभाग को संबन्धित अव ध में वभाग द्वारा तय वा र्षक कराए को नियत दिन एवं रीति से भुगतान करेगा यदि समय पर उक्त धनरा श जमा करने में चूक होती है तो उसका भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज सहित एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में जमा करेगा। ऐसा न करने पर अवशेषों की वसूली भू राजस्व देयों के बकाए के रूप में की जाएगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत दो पट्टे ग्रहीता द्वारा वभाग को लीज का वा र्षक कराया वलम्ब से जमा कया गया था (सूची संलग्न)। वलम्ब से जमा धनरा श पर वभाग द्वारा ब्याज की वसूली ₹2353122/- (2313494+39628) नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क पावर ग्रड कार्पोरेशन ऑफ इं डया ल मटेड एवं पोलीप्लेक्स कार्पोरेशन ल मटेड खटीमा को क्रमशः 29.04.2006 एवं दिनांक 16.11.2013 को लीज पर दिया गया। ब्याज की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

पट्टा ग्रहीता - पावर ग्रड कार्पोरेशन ऑफ इं डया

क्रम संख्या	वर्ष	जमा धनरा श/वा र्षक कराया	जमा करने की दिनांक	वलम्ब की अव ध	ब्याज की धनरा श
1	21.05.2005 से 20.05.2006	9,78,715	28.09.2007	28 माह 09 दिन	4,20,242
2	21.05.2006 से 20.05.2007	10,09,300	28.09.2007	16 माह 07 दिन	2,49,178
3	21.05.2007 से 20.05.2008	10,09,300	01.06.2008	12 माह 11 दिन	1,89,825
4	21.05.2008 से 20.05.2009	10,09,300	30.01.2009	08 माह 09 दिन	1,27,403
5	21.05.2009 से 20.05.2010	10,09,300	09.02.2010	08 माह 19 दिन	1,32,520
6	21.05.2010 से 20.05.2011	10,09,300	04.03.2011	09 माह 14 दिन	1,45,311
7	21.05.2011 से 20.05.2012	10,09,300	21.04.2012	11 माह	1,68,847
8	21.05.2012 से 20.05.2013	10,09,300	30.03.2013	10 माह 09 दिन	1,58,203
9	21.05.2013 से 20.05.2014	10,09,300	22.03.2014	10 माह 01 दिन	1,54,009
10	21.05.2014 से 20.05.2015	10,09,300	08.06.2015	12 माह 18 दिन	1,93,407
11	21.05.2015 से 20.05.2016	10,09,300	13.05.2016	11 माह 23 दिन	1,80,616
12	21.05.2016 से 20.05.2017	10,09,300	27.01.2017	08 माह 06 दिन	1,25,868
			योग		22,45,429

पट्टा ग्रहीता - पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन ल मटेड, खटीमा

क्रम संख्या	वर्ष	जमा धनरा श/वा र्षक कराया	जमा करने की दिनांक	वलम्ब की अव ध	ब्याज की धनरा श
1	07.05.2013 से 06.05.2014	2,07,350	24.05.2013	-	-
2	07.05.2014 से 06.05.2015	2,07,350	03.09.2014	03 माह 27 दिन	12298
3	07.05.2015 से 06.05.2016	2,07,350	18.09.2015	04 माह 11 दिन	13770
4	07.05.2016 से 06.05.2017	2,07,350	16.09.2016	04 माह 09 दिन	13560
			योग		39628

भाग-02 ब

प्रस्तर-02 निर्धारित लक्ष्य के वरुद्ध राजस्व की कम प्राप्ति ₹19.67 करोड़।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड, द्वारा लकड़ी, रायल्टी और अन्य वन उपज से वर्ष 2016-17 के लये प्राप्ति का लक्ष्य ₹110,33,54,000/- निर्धारित कया गया था। जब क रजिस्टर/अ भलेखों के अनुसार राजस्व प्राप्ति ₹90,66,92,087/- दर्शायी गयी है। इससे स्पष्ट होता है क वभाग द्वारा ₹19,66,61,913/- (1103354000-906692087) लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क लक्ष्य से राजस्व की कम प्राप्ति एवं लक्ष्य संशोधन हेतु इस कार्यालय की पत्रांक संख्या 2485/9-2(5) दिनांक 14.02.2017 द्वारा वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी को अवगत कराया गया। संशो धत लक्ष्य अनुमान ₹90.00 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में राजस्व ₹90.67 करोड़ की प्राप्ति हुई। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा लक्ष्य को संशो धत नहीं कया गया था।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-03 वन वभाग द्वारा त्वरित निस्तारण न कए जाने से 1415.2853 घन मीटर प्रकाष्ठ का अवशेष रहना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के वर्ष 2016-17 के अ भलेखों की की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान अवैध पातन से संबन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत 09 रेंजों द्वारा 137.1759 घन मीटर प्रकाष्ठ वर्ष 2016-17 में पकड़ा गया था जब क वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में 1343.18 घन मीटर प्रकाष्ठ प्रारम्भिक अवशेष के रूप में दर्शाया गया था। संगत वर्ष में 65.0706 घन मीटर प्रकाष्ठ का निस्तारण कया गया था। वर्ष 2016-17 के अंत में 1415.2853 घन मीटर प्रकाष्ठ (ता लका संलग्न) प्रभाग के अंतर्गत मौजूद था जिसका निस्तारण अभी तक नहीं कया गया है। अतः वन वभाग को 1415.2853 घन मीटर प्रकाष्ठ के निस्तारण न होने से राजस्व की क्षति हो रही है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जुर्म केसों का निस्तारण वभाग/मा. न्यायालय द्वारा कया जाता है, जिसके फलस्वरूप ही c-17 प्रकाष्ठ का निस्तारण कया जाता है। जुर्म केसों का निस्तारण होने पर संबन्धित प्रकाष्ठ c-1 में लेकर उत्तराखण्ड वन वकास के माध्यम से निस्तारित कया जाता है तथा जब्त प्रकाष्ठ के निस्तारण की प्रभाग स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है, एवं प्रकाष्ठ निस्तारण के हर संभव प्रयास कए जा रहे है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यूं क उक्त प्रकाष्ठ में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 का अवशेष भी है। इतना अ धक समय व्यतीत होने पर प्रकाष्ठ की गुणवत्ता में कमी आ जाती है इस लए वलम्ब से निस्तारण होने पर राजस्व की क्षति होना स्वाभा वक है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-43/2016-17

ता लका

(आयतन घन मीटर में)

क्रम संख्या	रेंज का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	जब्त कया गया प्रकाष्ठ	निस्तारण कया गया प्रकाष्ठ	अन्तिम अवशेष
1	गोला	193.0291	5.006	4.074	193.9611
2	डौली	86.1793	5.9561	6.7107	85.4247
3	कशनपुर	52.1178	10.6253	3.5556	59.1874
4	बाराकोटी	221.5064	36.4085	13.3786	244.5363
5	रनसाली	75.2829	11.228	8.934	77.5769
6	द क्षणी जौलासाल	227.6181	22.735	14.1266	236.2265
7	सुराई	183.3398	11.1951	0.632	193.9029
8	खटीमा	261.4827	22.318	-	283.8007
9	कलपुरा	42.6262	11.7039	13.659	40.6711
कुल योग		1343.18	137.1759	65.0706	1415.2853

भाग-02 ब

प्रस्तर-03 वन जमा की दर संशोधन न करने के फलस्वरूप राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 512/x-2-2013-12(34)/2005 दिनांक 08 मार्च 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अ धनियम 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अंतर्गत वृक्ष पातन हेतु अनुज्ञा के एवज में जमा एफ डी आर एवं एन एस सी की धनरा श प्रार्थीगणों द्वारा उक्त वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव न करने पर जमा जमानत को जब्त करके राजस्व में जमा कया जाना है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क 01 वृक्ष के पातन के सापेक्ष 02 पौध लगाने हेतु ₹50 प्रति पौध की दर से ₹100 जमानत के रूप में बंधक रखी जा रही है। जब क 02 पौध लगाने हेतु व उसके अनुरक्षण में ₹160.94 खर्च कया जाता है जो क निरंतर बढ़ती रहेगी। वभाग द्वारा निर्धारित ₹100 की जमानत रा श बहुत कम है इसी कारण पेड़ पातन करने वाले व्यक्ति द्वारा जमानत के रूप में जमा की गयी रा श को वापस लेने की प्रवृ त्त समाप्त हो गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क वर्तमान तक जमानत ₹50.00 की दर से ही जमा की जा रही है इसे बढ़ाया नहीं गया है। रोपण एवं अनुरक्षण की दर को सम्मि लत करते हुए प्रति पौध प्राप्त कये जाने हेतु जमानत धनरा श का निर्धारण कया जा सकेगा।

चूं क वभाग द्वारा पौध लगाने व उसके अनुरक्षण लागत से भी कम धनरा श जमानत के रूप में जमा करायी जा रही है। अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-04 लीज का पट्टा वलेख पत्र उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत न कराये जाने के फलस्वरूप स्टाम्प के रूप में राजस्व क्षति।

भारतीय स्टाम्प अ धनियम 1899 की अनुसूची 2 ख के अनुच्छेद 35 के अनुसार 20 वर्ष से अ धक व 30 वर्ष तक के लए लीज पर दी गयी संप त्त के वा र्षक कराए का 6 गुना तथा प्री मयम यदि कोई हो, की धनरा श को जोड़कर मूल्यांकन पर स्टाम्प की देयता बनती है। जो क दिनांक 2 सतम्बर 2009 से 2% की दर से स्टाम्प लागू है।

कार्यालय के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा योजना धौली गंगा बरेली पारेषण लाइन के अंतर्गत 20.186 हेक्टेयर वन भू म 30 वर्षों के लए लीज पर 29 अप्रैल, 2016 को सर्वश्री पावर ग्रड कार्पोरेशन ऑफ इं डया ल मटेड को दी गयी थी। जिसका वा र्षक कराया ₹10,09,300 निर्धारित कया गया था। इसी प्रकार प्रभाग द्वारा अन्य 0.4147 हेक्टेयर भू म पो लप्लेक्स कार्पोरेशन ल मटेड खटीमा को दिनांक 07 मई 2013 को 30 वर्षों के लए लीज पर दी गयी थी। जिसका प्री मयम एवं अन्य व्यय के रूप में प्रभाग द्वारा 35,86,400 एवं वा र्षक कराया ₹2,07,350 निर्धारित कया गया था।

उपरोक्त भू म 30 वर्ष के लए लीज पर दिये जाने के बावजूद पट्टा वलेख क्रमशः ₹10 व ₹100 के स्टाम्प पर अं कत कया गया है जो क उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। इन पट्टा वलेखों पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा नहीं कया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क शासनादेश संख्या जी आई 2718/07.01.2013-800(3401)/2012 दि. 07.05.2013 द्वारा पोलीप्लेक्स कार्पोरेशन ल मटेड खटीमा के उपयोगार्थ वन भू म 30 वर्षों की अव ध के लए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें क्रम संख्या 16 में दिये गए निर्देशानुसार पट्टा वलेख का वधीक्षण शुल्क जमा एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने पत्रांक दि. 07.08.2013 द्वारा पट्टा वलेख ₹100 के स्टाम्प पेपर पर दिया गया जिसे इस कार्यालय द्वारा अनुमोदन हेतु प.स. 623/12-1 दि. 22.08.2013 से अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अ धकारी को प्रे षत कया गया, जिस क्रम में शासन के आदेश स. 67/07-01-2013-800 (3401)/2012 दि. 23-10-2013 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में अनुमोदित पट्टा वलेख पर दिनांक 16-11-2013 को हस्ताक्षर कर अग्रेत्तर कार्यवाही संपादित की गयी। इसी प्रकार अन्य द र्शत प्रकरणों पर भी कार्यवाही की गयी है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपरोक्त नियम के अनुसार पट्टा वलेख पत्र को उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत करना आवश्यक है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग-02 ब

प्रस्तर-01 वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 21.05 लाख की अनुग्रह रा श का भुगतान न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण वभाग की अ धसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वतरण नि ध नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आ र्थक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह रा श प्रदान कए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित कए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।

नियमावली की मूल भावना यह थी क वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह रा श का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कया जाना चाहिए ता क मनुष्य का वन वभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वतरण नि ध के अ भलेखों (वर्ष 2016-17) की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत पशु क्षति के 09 प्रकरणों में ₹0.75 लाख तथा मानव क्षति के 14 प्रकरणों में ₹20.30 लाख का भुगतान कया जाना अपे क्षत था, जो क प्रभाग द्वारा नहीं कया गया। जब क प्रभाग के पास मार्च 2017 के अन्त में बैंक पासबुक के अनुसार ₹ 23,12,897 अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जांच उपरान्त मृत्यु/घायल केसों में भुगतान त्वरित गति से कया जा रहा है। वर्ष 2016-17 की अवशेष देयता ₹20.30 लाख के वरुद्ध माह जून 2017 तक तीन मृत्यु केसों में ₹9.00 लाख तथा एक घायल केस में ₹0.15 लाख का भुगतान कया जा चुका है। शेष लम्बित केसों में जांच/ स्वीकृति उपरान्त शीघ्र भुगतान कए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

STAN- 1 कर्मचारियों/ अ धकारियों द्वारा **₹4,14,200** की प्रतिभूति रा श का जमा न कया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के जमानत जमा से संबन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया क निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया ₹4,14,200 की जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है

क्र सं	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष धनरा श
1	श्री प्रदीप कुमार	वन क्षेत्रा धकारी	25000	-	25000
2	श्री यतीश चन्द्र पाण्डेय	वन क्षेत्रा धकारी	25000	20000	5000
3	श्री सुन्दर राम	प्र. व. क्षे.	25000	-	25000
4	श्री योगेश तिवारी	प्र. व. क्षे.	25000	-	25000
5	श्री कैलाश चन्द्र गुणवन्त	प्र. व. क्षे.	25000	-	25000
6	श्री सुरेश चन्द्र मेन्दोला	प्र. व. क्षे.	25000	20000	5000
7	श्री दीप चन्द्र उपाध्याय	उ. व. क्षे.	25000	20000	5000
8	श्री चन्दन संह अ धकारी	उ. व. क्षे.	25000	20000	5000
	श्री सतीश चन्द्र रिखाड़ी	उ. व. क्षे.	20000	-	20000
. 10	श्री जसौद संह	वन दरोगा	10000	-	10000
. 10	श्री प्रेम राम	वन दरोगा	10000	-	10000
. 11	श्री जगदीश चन्द्र बिनवाल	वन दरोगा	10000	5000	5000

. 12	श्री महिम गरी गोस्वामी	वन दरोगा	10000	-	10000
.\13	श्री दीप चन्द्र उप्रेती	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 14	श्री देवेन्द्र प्रकाश आर्या	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 15	श्री रमेश चन्द्र आर्या	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 16	श्री अंबादत्त बिशटानिया	वन दरोगा	10000	-	10000
. 17	श्री महेश प्रसाद वन	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 18	श्री वष्णु संह सुप्याल	वन दरोगा	10000	8000	2000
. 19	श्री दिनेश चन्द्र तिवारी	वन दरोगा	10000	-	10000
. 20	श्री पान संह बिष्ट	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 21	श्री बाबूराम यादव	वन दरोगा	10000	-	10000
. 22	श्री दिनेश कुमार संह	वन दरोगा	10000	-	10000
. 23	श्री वश्वेश्वर प्रसाद डोबरियाल	वन दरोगा	10000	4000	6000
. 24	श्री कैलाश चन्द्र क पल	वन दरोगा	10000	8500	1500
. 25	श्री हरीश लाल	वन दरोगा	10000	-	10000
. 26	श्री चन्दन प्रकाश	वन दरोगा	10000	-	10000
. 27	श्री दान संह खो लया	वन दरोगा	10000	5000	5000

. 28	श्री रघुवर मुनौला	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 29	श्री कान्तिबल्लभ देवतल्ला	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 30	श्री खड़क संह	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 31	श्री देवीदत्त तिवारी	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 32	श्री शंकर दत्त सती	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 33	श्री मदन संह बिष्ट	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 34	श्री ल लत मोहन जोशी	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 35	श्री नैन संह नेगी	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 36	श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 37	श्री राम संह परिहार	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 38	श्री केशर संह धोनी	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 39	श्री वशन राम	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 40	श्री जगदीश प्रसाद	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 41	श्री हंसादत्त दुमका	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 42	श्री सुन्दर लाल	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 43	श्री ओम प्रकाश	वन दरोगा	10000	5000	5000
. 44	श्री राजू दास	वन दरोगा	10000	-	10000

.45	श्री प्रेम प्रकाश उप्रेती	वन दरोगा	10000	5000	5000
.46	श्री सुखवन्त संह	वन दरोगा	10000	5000	5000
.47	श्री वष्णुदेव संह	वन आरक्षी	5000	-	5000
.48	श्री हरी संह गोनिया	वन आरक्षी	5000	-	5000
.49	श्री संजय कुमार	वन आरक्षी	5000	-	5000
.50	श्रीमती पुष्पा तिवारी	वन आरक्षी	5000	1000	4000
.51	श्री कृष्णपाल गौतम	वन आरक्षी	5000	1500	3500
.52	श्री वनोद कुमार	वन आरक्षी	5000	-	5000
.53	श्री शंकर दत्त पनेरु	वन आरक्षी	5000	-	5000
.54	श्रीमती रोशनी आर्या	व. प्र. अ धकारी	3000	2000	1000
.55	श्री मोहन चन्द्र जोशी	प्र. सहायक	2000	300	1700
.56	श्री हरीश संह बिष्ट	व. सहायक	1500	1000	500
.57	श्री केशव दत्त बमेठा	व. सहायक	1500	1000	500
.58	श्री सोबन संह सोतवाल	चालक	3000	1000	2000
.59	श्रीमती मुन्नी देवी	चौकीदार	500	-	500
.60	श्री जगन्नाथ	डा कया	500	-	500
.61	श्री हरद्वारी	माली	500	-	500

	लाल				
योग					**4,14,200**

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क क्रम संख्या 01 से 62 के 25 कर्मचारियों की अवशेष जमानत उनके पदोन्नति फलस्वरूप अवशेष देय जमानत, नए नियुक्ति कर्मचारी तथा अन्य प्रभागों से स्थानांतरित कर्मचारियों की जमानत अवशेष लंबित है, जिस हेतु जमानत जमा करने के प्रभाग स्तर से हर संभव प्रयास कए जा रहे है। जमानत वसूली से अगले संप्रेक्षा दल को अवलो कत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-**05** वन वभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही न कए जाने के कारण 5982.08 हेक्टेयर भू म का अतिक्र मत होना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क 6667 अतिक्रमणकारियों द्वारा वन वभाग की 5982.08 हेक्टेयर भू म पर कब्जा कया गया था। उक्त भू म पर अतिक्रमण वर्ष 1968 से है। इस संबंध में प्रभाग में वर्तमान में कुल 1747 मामले व भन्न न्यायालयों में वचारधीन है तथा 2019 मामले पूर्व में न्यायालय से निर्णीत होने के बाद भी बेदखली न हो पाने के कारण लम्बित में दर्शाये गए हैं। इस लए कुल 3766 मामले लम्बित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क इस वन प्रभाग में कुल 5982.08 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण है चूं क अतिक्रमण काफी पुराने है तथा अतिक्र मत क्षेत्र में काफी लोग अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है। इस वन प्रभाग द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु काफी प्रयास कए गए, वभागीय रूप से बिना शासन के आदेश, पर्याप्त प्रशासनिक व पु लस बल के उक्त अतिक्र मत क्षेत्र को वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त कराया जाना संभव नहीं है। उक्त संवेदनशील क्षेत्रों के समीप वशेष रूप से निगरानी राखी जा रही है ता क अतिक्रमण आगे न बढ़ने पाये।

अतः अतिक्रमण से संबन्धित प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-06 सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त कए बिना ₹16.10 लाख लागत का कार्य पूर्ण कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 245/xxvii(7)/2012,दिनांक: 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के निष्पादन हेतु उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वना धकारी को ₹5.00 लाख तक की सीमा तक स्वीकृति का अ धकार प्रदत्त कया गया है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में डौली राजि के अंतर्गत उच्च तकनीक पौधालय लालकुआँ में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर हेतु यूके लप्टस क्लोनल की 2,50,000 पौध उगान हेतु ₹16,10,000 लाख मूल्य की लागत का कार्य बिना सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त कए पूर्ण करा दिया गया तथा संप्रेक्षा ति थ (जुलाई 2017) तक प्रभाग को उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अ धकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 की वत्तीय स्वीकृति ₹14,40,000 प.स. 3050/2-34 दि. 19.03.16 द्वारा एवं वर्ष 2016-17 की वत्तीय स्वीकृति ₹16,10,000 प.स. 3654/2-34 दि. 13.05.2016 द्वारा सक्षम अ धकारी को समय पर स्वीकृति हेतु प्रे षत की गयी है तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में धनरा श व्यय की गयी। वर्ष 2017-18 में पुनः वर्ष 2016-17/2017-18 की कार्योत्तर वत्तीय स्वीकृति आवेदित की गयी है।

वभाग के उत्तर से स्पष्ट है क उक्त कार्य हेतु अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी</u>

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी की अव ध 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीणा, लेखापरीक्षक, श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी-

प्रस्तर-01 ऑ डट मेमों संख्या 48 बुक संख्या 471 दिनांक 26.07.2017 के अनुसार प्रभाग के अ धकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में क मयों का निराकरण कया जाना अपे क्षत रहेगा।

प्रस्तर-02 ऑ डट मेमों संख्या 49 बुक संख्या 471 दिनांक 26.07.2017 के अनुसार प्रभाग के अ धकारियों/ कर्मचारियों की सामान्य भ वष्य नि ध पासबुक में क मयों का निराकरण कया जाना अपे क्षत रहेगा।

प्रस्तर-03 प्रतिवेदन संख्या 60/2015-16 के नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 01,02,05,07,08,09 एवं प्रतिवेदन संख्या 13/2016-17 के नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 01,02,05,09 का सत्यापन के पश्चात प्रस्तर को यथावत रखा जाता है जिसकी आगामी लेखापरीक्षा में सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा रहेगी।

सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी / आर ए पी-05

संख्या-राजस्व क्षेत्र/वन/2017-18 दिनांक:

प्रति ल प प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत की जाती है क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपरोक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकर/राजस्व क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर देहारादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी/आर ए पी-05

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

<u>राजस्व से संबं धत</u> वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

व्यय से संबं धत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
26/2011-12	शून्य	01
32/2013-14	शून्य	02
60/2015-16	शून्य	02
13/2016-17	शून्य	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कोई प्रस्तर निस्तारित नही कया गया है। (अनुपालन आख्या उपलब्ध नही करायी गयी)				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वना धकारी तराई पूर्वी वन प्रभग हल्द्वानी (नैनीताल) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः (राजस्व एवं व्यय से संबं धत अलग अलग दर्शाएँ)
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा0 पराग मधुकर धकाते	प्र0व0अ0
(ii)	श्री नीतीश म ण त्रिपाठी	प्र0व0अ0

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वना धकारी तराई पूर्वी वन प्रभग हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी